

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

सीपीआईओ का प्रशिक्षण

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी के स्तर के अधिकारियों को साधारणतः सीपीआईओ के रूप में पदस्थ किया जाता है, जिन्हें अवर सचिव/अनुभाग अधिकारियों के पद पर उनकी पदोन्नति से पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना आवश्यक है। ऐसे अनिवार्य प्रशिक्षण कोर्स के पाठ्यक्रम/सिलेबस में विषयों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को एक विषय के रूप में शामिल किया जाता है। इस प्रकार सीपीआईओ इस विभाग में आरटीआई संबंधी मामलों पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।
